

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

स0क0स्था0-01-क्षे0-86/2015-

3979

प्रेषक,

धनंजय ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :- 15.9.15

विषय :- बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015 के आलोक में कोषागार प्रशिक्षण के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार बाल विकास सेवा नियमावली, 2015 इस विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-3639 दिनांक-22.08.2015 द्वारा गठित एवं अधिसूचित किया जा चुका है जिसे विभागीय वेबसाईट पर भी अवलोकित किया जा सकता है।

उक्त नियमावली में कोषागार प्रशिक्षण का प्रावधान संपुष्टि/वेतनवृद्धि आदि हेतु विहित किया गया है।

उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि अब तक जिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें एक माह का कोषागार प्रशिक्षण जिला कोषागार में दिलाकर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि उसकी संपुष्टि राजस्व पर्षद से कशायी जा सकें। साथ ही जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो एवं राजस्व पर्षद से संपुष्टि भी प्राप्त हो एतद् सूचना भी कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

15-09-15

विश्वासभाजन

Dhanur
15.9.15

(धनंजय ठाकुर)

विशेष कार्य पदाधिकारी